मेजर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन में राजस्थान को पहला पुरस्कार

कोणार्क में खान मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस में प्रमुख सचिव माइंस टी. रविकान्त ने पुरस्कार प्राप्त किया।

■ माइनिंग सेक्टर में राजस्थान ने समूचे देश में परचम फहराया

जयपुर। राज्य के माइंस विभाग ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो स्वयं खान मंत्री भी है के नेतृत्व में समूचे देश में माइनिंग सेक्टर में राजस्थान का परचम पहरा दिया है। राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव माइंस, भूविज्ञान व पेट्रोलियम टी. रविकान्त को सोमवार को ओडिशा के कोणार्क में केन्द्रीय खान मंत्री जी. किशन रेड्डी, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और केन्द्रीय खान सचिव वी. कान्ताराव ने वर्ष 2023-24 में देश भर में एक्जेम्प्लेरी परफारमेंस इन मिनरल ब्लॉक ऑक्शन का पहला पुरस्कार प्रदान किया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो स्वयं खान मंत्री भी है के मार्गदर्शन में प्रदेश में खनिज क्षेत्र में नई नीतियों से लेकर खोज खनन और राजस्व संग्रहण के क्षेत्र में एतिहासिक उपलब्धियां अर्जित की गई है। केन्द्र सरकार ने राजस्थान की उपलब्धि को अनुकरणीय परफारमेंस बताया है।

प्रमुख सचिव माइंस टी. रविकान्त को यह पुरस्कार ओडिशा के कोणार्क में आयोजित नेशनल माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में दिया गया। प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने राजस्थान के खान विभाग के लिए इसे एतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि राज्य में वर्ष 2023-24 में देश भर में सर्वाधिक 31 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी की गई। यह समूचे देश में सर्वाधिक होने के साथ ही राजस्थान के माइनिंग इतिहास में भी पहली बार हुआ। नई सरकार आने के बाद तीन माह में ही मेजर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन के योजनाबद्ध प्रयासों से राजस्थान यह उपलब्धि अर्जित की है। उन्होंने कहा कि माइंस एवं भूविज्ञान विभाग की पूरी टीम द्वारा टीम भावना से किए गए समग्र प्रयासों से संभव हो पाया है। इस उपलब्धि के लिए उन्होंने विभाग के अधिकारियों, कार्मिकों, माइनिंग सेक्टर के स्टेक होल्डर्स सहित प्रदेशवासियों को बधाई दी।

रविकान्त ने बताया कि 31 मेजर मिनरल ब्लॉकों में 22 माइनिंग लीज व 9 कंपोजिट लाइसेंस के लिए नीलामी की गई। इनमें लाईम स्टोन के 22 ब्लॉक, आयरन ओर के 4 ब्लॉक और बेसमेटल के पांच ब्लॉक है। उन्होंने बताया कि मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के क्षेत्र में इस वित्तीय वर्ष में भी राजस्थान नया रिकार्ड रचने जा रहा है। निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि राजस्थान में खनिज खोज, खनन प्लाटों का डिलेनियेशन, भारत सरकार के ई पोर्टल पर नीलामी, अवैध खनन पर प्रभावी रोक व अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही आदि से विभाग को नई गति व राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी है।

कलाल ने बताया कि वर्ष 2023-24 में 31 मेजर मिनरल ब्लॉकों का ऑक्शन किया गया जिसमें नई सरकार के तीन माह के समय में ऑक्शन में तेजी आने से राजस्थान समूचे देश में पहला स्थान प्राप्त करने में सफल रहा। दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में अतिरिक्त निदेशक भूविज्ञान एसएन डोडिया और अधीक्षण खनि अभियंता विजिलेंस प्रताप मीणा भी हिस्सा ले रहे हैं। दो दिवसीय नेशनल माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन मंगलवार को राजस्थान के प्रमुख सचिव माइंस टी. रविकान्त भी ऑक्शन और बेस्ट प्रेक्टिसेज पर प्रदेंगेशन देंगे।

मोबाइल द दुपहिया चुराने वाले गिरफ्तार

जयपुर। प्रताप नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल स्नैचिंग और दुपहिया वाहन चुराने वाले गिरोह के तीन शातिर बदमाशों को पकडा है। जिसमें में एक बाल अपचारी भी है। पुलिस आरोपियों के पास से चोरी की बाइक,एक लैपटॉप सहित स्नैचिंग के दौरान छीने गए आठ मोबाइल फोन बरामद किए है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व तेजस्वनी गौतम ने बताया कि प्रताप नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल स्नैचिंग और दुपहिया वाहन चुराने वाले गिरोह के शातिर बदमाश आसू उर्फ रवि गुर्जर निवासी सांगानेर जयपुर और नवीन उर्फ लुक्का निवासी उच्चैन जिला भरतपुर को गिरफ्तार किया गया है।

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के परिणाम में अनियमितता पर जवाब मांगा

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने हिंदी विषय के लिए आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2023 के परिणाम में अनियमितता बरतने पर आरपीएससी और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने भर्ती में दी जा रही नियुक्तियों को याचिका के निर्णय के अधीन रखा है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश अंजना चौधरी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने हिंदी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए साल 2023 में भर्ती निकाली थी। लिखित परीक्षा के बाद आयोग ने मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां मांगी, लेकिन बाद में अंतिम उत्तर कुंजी ही जारी नहीं की। वहीं भर्ती के 214 पदों के मुकाबले तीन गुणा अभ्यर्थियों को बुलाने के बजाए 1612 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। जबकि नियमानुसार पदों के तीन गुणा से अधिक अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जा सकता। याचिका में यह भी कहा गया कि आयोग ने असफल अभ्यर्थियों के अंक भी सार्वजनिक नहीं किए। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि अभ्यर्थियों के अंकों को सार्वजनिक नहीं करना भर्ती की पारदर्शिता पर संदेह उत्पन्न करता है। मॉडल उत्तर कुंजी और लिए गए साक्षात्कार के हिसाब से याचिकाकर्ताओं को अंतिम परीक्षा परिणाम की मुख्य सूची में स्थान मिलना चाहिए था, लेकिन आयोग की मनमर्जी से उन्हें चयन से वंचित कर प्रतीक्षा सूची में डाल दिया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए नियुक्तियां को याचिका के निर्णय के अधीन रखा है।

पेयजल को लेकर नीति पेश करने के दिए आदेश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीसलपुर बांध से पीने के पानी के लिए सप्लाई को वरीयता देने के मामले में राज्य सरकार को पॉलिसी ने पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश लोकेन्द्र जैन की ओर से दायर जनहित याचिका व प्रदेश में पेयजल की समस्या पर लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि पानी कहां और कैसे सप्लाई करना है, यह राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है। वहीं इस संबंध में नीति बनाई जा रही है। इस साथ ही लोकेन्द्र जैन की ओर से दायर याचिका सारहीन हो गई है। दूसरी ओर न्यायमित्र प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि अभी तक ईआरसीपी से पानी नहीं मिला है। इस पर अदालत ने कहा कि वे चाहते हैं कि हर घर में पानी पहुंचना चाहिए। अदालत इस मामले में पूर्व में रिट स्वीकार कर चुकी है, जबकि यह मुद्दा को जनहित याचिका में उठाया गया है। इस पर एजी ने कहा कि उन्हें इस संबंध में बनाई जा रही नीति पेश करने के लिए समय दिया जाए। इस पर अदालत ने राज्य सरकार को चार सप्ताह का समय दिया है। जनहित याचिका में कहा गया कि बीसलपुर बांध के पानी की पहली प्राथमिकता पेयजल की होनी चाहिए। यदि पानी सरप्लस होता है तो उसे कृषि के उपयोग के लिए छोडा जा सकता है। वहीं यदि बांध के पानी को कृषि के लिए आरक्षित रखा गया तो आने वाले समय में जयपुर, अजमेर और टोंक के निवासियों के लिए पेयजल का संकट खडा हो सकता है। ऐसे में बीसलपुर बांध से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

'हाईकोर्ट प्रशासन अपना रुख करे स्पष्ट'

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट प्रशासन को कहा है कि शहर में नए कोर्ट कॉम्पलैक्स के लिए जेडीए की ओर तलाशी गई जमीनों को लेकर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश दीनदयाल खंडेलवाल व धर्मेन्द्र मुलवानी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जेडीए अपने प्रस्ताव में नए कोर्ट कॉम्पलैक्स के लिए नींदड में सौ बीघा जमीन और अजमेर रोड पर रिंग रोड के पास गांव पीपला भगतसिंह में भूमि आरक्षित रखने की जानकारी दे चुका है, लेकिन हाईकोर्ट प्रशासन ने अभी तक उस पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है।

बजट के लिये सी.आई.आई. ने राज्य सरकार को सिफारिशें सौंपी

■ राइजिंग राजस्थान की सफलता के लिए बधाई भी दी

जयपुर। प्री बजट मेमोरेंडम (पीबीएम) 2025 के लिए सीआईआई ने राज्य सरकार को सिफारिशें सौंपी।

सीआईआई राजस्थान के वाईस चेयरमैन संजय अग्रवाल ने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव को राइजिंग राजस्थान की सफलता के लिए बधाई प्रेषित करते हुए क्हा कि एमओयु के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा स्टेप्स लेने पर धन्यवाद दिया।

प्री बजट मेमोरेंडम (पीबीएम) 2025 के लिए सीआईआई ने राज्य सरकार को निम्न सिफारिशें सौंपी। राज्य सरकार ने नई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स) 2024 एवं 9 नई पॉलिसीज निकाली है। यह एक अभूतपूर्व निर्णय है, मगर पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेषन सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। लोगों में इसकी अवेयरनेस की कमी है। हालांकि सीआईआई अपने स्तर पर इसे उद्योगों को सुचित करता रहता है मगर हमारा मानना है कि सरकार के प्रतिनिधि सीआईआई के साथ राज्य के विभिन्न शहरों में इसकी पब्लिसिटी करें, जिसके इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, ऐसा पहले भी होता रहा है।

रिप्स 2024 में क्लाज 6.3 में एमएसएमईज् के एक्सपॉनशन पर कोई इन्सेन्टिव नहीं है। पहले रिप्स 2022 में एमएसएमईज् को एक्सपॉनशन पर इन्सेन्टिव मिलता था। एमएसएमईज् हर स्टेट के रेवेन्यु एण्ड एम्पलॉयमेंट में सबसे बड़ा योगदान देती है। इसी तरह क्लाज 6.2 में रिप्स 2022 को राहत दी गई है पर ऐसे कई उद्योग हैं जिनका प्रोडक्शन कोविड के कारण लंबित हुआ था। इसलिए इस पर हमारा आग्रह है कि इस क्लाज में रिप्स पॉलिसी 2019 को भी शामिल किया जाए। वैसे तो राज्य सरकार एमओयु के क्रियान्वयन के लिए उचित उपाय कर रही है पर हमारा मानना है कि इंडस्ट्री को इसमें साथ लेंगे तो जो लोग रेस्पोण्ड नहीं कर रहे हैं सीआईआई इसमें उन मेंबर्स को मोटिवेट करके एमओयु के इंप्लीमेंटेशन में मदद कर सकता है। ऐसे बहुत सी इंडस्ट्री मेंबर्स होते हैं जिन्हें इसमें मदद की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री के नेट जीरो बाई 2070 को अचीव करने के लिए एन्वायरमेन्टल, सोषियल और गवर्ननेंस (ईएसजी), और ग्रीन बिल्डिंग मुवमेन्ट को प्रमोट करने की जरूरत है। लोगों में इसके अवेयरनेस की कमी है। हमारा मानना है कि सरकार ग्रीन बिल्डिंगस, ईएसजी को प्रमोट करने एवं नेट जीरो बाई 2070 को अचीव करने के लिए उन्हें स्टांप ड्यूटी में 1 प्रतिषत की छूट दें जो ग्रीन बिल्डिंग्स बनाते और खरीदते है। रिन्यूएबल एनर्जी को सरकार प्रमोट कर तो रही है परंतु राज्य के लोगों को इसका लाभ कम ही मिल रहा है। राज्य सरकार को के मॉडल करियर सेंटर की तर्ज पर कम से कम हर डिविजनल हैडक्वाटर्स पर एक सेंटर खोलना चाहिए। हमें उम्मीद है कि इस तरह से एक साल में कम से कम 50 हजार लोगों को अतिरिक्त अपॉइंटमेंट मिलेगा। यदि स्किल को इंडस्ट्री के साथ क्लासमेट बनाया जाए तो गारमेंट्स, माइनिंग, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट में एक लाख लोगों को और रोजगार मिलेगा। नए कोर्सेज जैसे ए आई, स्मार्ट एग्रीकल्चर और ड्रोन टेक्नोलॉजी, सोलर टेक्निकल, साइबर सिक्योरिटी के शॉर्ट टर्म क्लासेस की जरूरत है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात सरकारें पेटेंट और कॉपीराइट्स पर काफी काम कर रही है। वहीं के साथ मिलकर पीपीपी मॉडल पर सेंटर बनाए गए हैं जो स्टार्टअप और इंडस्ट्री को पेटेंट दिलाते में मदद करते हैं और साथ में अवेयरनेस सेशन भी करते है। राज्य में इस अवसर की कमी है और नए स्टार्टअप एवं इंडस्ट्री को इसके बारे में बताने तथा इसका लाभ लेने की जरूरत है। राज्य सरकार को राजस्थान टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सेंटर बनाने की जरूरत है।

राज्य सरकार ने 13 फैसिलिटी सेंटर का गठन किया है जिससे का रुका हुआ अमाउंट मिल सके जो की विभिन्न सरकारी विभागों एवं बड़े उद्योगों में 45 दिन से ज्यादा रुका हुआ है।

सीआईआई.राजस्थान के वरिष्ठ निदेशक एवं प्रमुख नितिन गुप्ता भी आज इसमें शामिल हुए।

फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल करने को लेकर अभ्यावेदन तय करने के आदेश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल करने को चुनौती देने वाली याचिका पर विभाग के सचिव और एसओजी को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को चार सप्ताह में तय करने को कहा है। अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वह एक सप्ताह में अपना अभ्यावेदन पेश करे। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश याचिकाकर्ता डॉ. टीएन शर्मा की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता पीसी भंडारी ने बताया कि आरपीएससी ने साल 2014 में एनालिस्ट कम प्रोग्रामर के 29 पदों पर भर्ती निकाली थी। जिसमें लिखित परीक्षा आयोजित कर अंतिम परिणाम मई, 2017 में जारी किया गया। याचिका में कहा गया कि भर्ती में एक महिला अभ्यर्थी ने एक फर्म में कार्य करने का फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाया। जबकि आरटीयू, कोटा से आरटीई में मिली जानकारी के अनुसार महिला निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत थी। दूसरी ओर कॉर्पोरेट मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार संबंधित फर्म ने जुलाई, 2013 के बाद काम ही नहीं किया। इसी तरह एक अन्य महिला अभ्यर्थी डीआरडीओ में रिसर्च स्कॉलर थी, लेकिन इस भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी पात्र ही नहीं थे। इस संबंध में एसओजी और विभाग में शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

डोटासरा बिना बॉल के फुटबॉल खेल रहे हैं, उनको स्वयं को नहीं पता वे क्या बोल देते हैं : मदन राठौड़

■ 'दिल्ली चुनाव को लेकर बयान देने से पूर्व पायलट पहले लीडरशीप के ढुलमुल रवैये को समझने का प्रयास करें'

■ 'निर्दलीय विधायक क्षेत्र के विकास में अटका रहे है रोड़ा, विकास में राजनीति नहीं करनी चाहिए'

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रही है, फिर चाहे विपक्ष को क्या लग रहा है, यह उनकी सोच है। सदन में विपक्ष की भूमिका जैसी होगी, सत्ता पक्ष भी उसी लहजे में उसका जवाब देगा। डोटासरा बिना बॉल के फुटबॉल खेल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, उनको बाद में पता चलता है कि मैंने क्या बोल दिया। ऐसे में मेरा विपक्ष से आग्रह है कि विपक्षी नेताओं को बोलने से पहले अपने घर में झांक लेना चाहिए, दूसरों के घर में ताकझांक करना अच्छी आदत नहीं है।

राठौड़ ने दिल्ली चुनावों को लेकर सचिन पायलट के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पायलट को याद रखना चाहिए कि दिल्ली में पिछली बार कांग्रेस को कितनी सीट मिली थीं। पायलट को अपने नेतृत्व और लीडरशीप के ढुलमुल नीति को समझने का भी प्रयास करना चाहिए। बिना सोचे समझे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। दिल्ली में जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मानस बना लिया है। भाजपा अपने एजेंडे और घोषणा पत्र के अनुरूप कार्य कर रही है, भाजपा को जनता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा नीतियों, सिद्धांतों पर आधारित राजनीति करती है, जातिवाद की राजनीति भाजपा में नहीं की जाती है। यहां जनता जो चाहेगी वो ही कार्य होगा। जातिगत आधार पर कार्य नहीं किया जाता। भाजपा ने जन अपेक्षाओं के अनुरूप उम्मीदवार उतारे है। भाजपा कभी भी रेवड़ियां बांटने का कार्य नहीं करती। विपक्ष आनन फानन में रेवड़ियां बांटकर चुनावी लाभ लेने के लिए योजनाओं की घोषणा करता है, फिर उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता।

एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने 204 किलो गांजे से भरा हुआ ट्रक-कंटेनर पकड़ा

उडीसा से तस्करी कर हरियाणा ले जा रहा था 2.50 करोड़ रु. का गांजा

एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय, झुंझुनूं जिले की चिड़ावा और सूरजगढ़ पुलिस ने 204 किलो गांजे से भरा ट्रक पकड़कर आरोपी को गिरफ्तार किया।

जयपुर (कासं)। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय, झुंझुनूं जिले की चिड़ावा और सूरजगढ़ पुलिस ने 204 किलो गांजे से भरा ट्रक और कंटेनर पकड़ा है। पुलिस ने कई घंटों तक ट्रक का पीछा करने के बाद आरोपी ट्रक ड्राईवर को दबोचा। कंटेनर की बॉडी में बने गुप्त स्थान से 204 किलो से अधिक गांजा बरामद किया है। इस मामले में आरोपित ट्रक चालक सुभाष चन्द्र जाट (40) निवासी झोझू जिला चरखी दादरी (हरियाणा) को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की अनुसार जब्त मादक पदार्थ गांजा की कीमत करीब 2.50 करोड़ रुपए आंकी गई है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स दिनेश एमएन ने बताया कि झुंझुनू जिले की चिड़ावा एजीटीएफ को सूचना मिली कि उडीसा से एक ट्रक कंटेनर में भारी मात्रा में गांजा आया है। सूचना को डवलप कर चिड़ावा और सूरजगढ़ थाना पुलिस को अवगत कराया गया।

एम.एन. ने बताया कि जहां टीम की ओर से हरियाणा नंबर के ट्रक कंटेनर की तलाश की गई। इस पर बगड की तरफ से आने की सूचना पर चिड़ावा पुलिस ने चिडावा बाईपास पर ट्रक कन्टेनर को रूकवाने की कोशिश की। लेकिन चालक चिड़ावा कस्बे से होता हुआ मेंन हाईवे से ट्रक को सूरजगढ की तरफ भगाने लगा। सूचना पर सूरजगढ पुलिस ने रघुनाथपुरा टोल बूथ पर नाकाबंदी शुरू की गई।

इसी दौरान कन्टेनर चालक के ट्रक को स्यालू की तरफ घुमा लेने की सूचना मिली। इस पर रघुनाथपुरा टोल नाका से आगे स्यालू की तरफ से आने वाले रास्तो पर नाकाबंदी शुरू की गई। इसी बीच रघुनाथपुरा से मण्डी सूरतगढ़ की तरफ वाले रास्ते पर कंटेनर आने की सूचना पर बरासिया कॉलेज के पास पावर हाउस मोड पर नाकाबंदी की गई। इस पर सूरजगढ की तरफ से कन्टेनर आता दिखाई दिया। रुकवाने पर चालक जानलेवा व खतरनाक तरीके से नाकाबंदी पर लगे जाब्ते पर ट्रक ऊपर चढाने की कोशिश कर हुए ट्रक को बुहाना रोड की और डिवाइडर पर चढाते हुए भागने लगा।

इस पर चिड़ावा-सूरजगढ़ थाना पुलिस एवं एजीटीएफ की टीम ने ट्रक का पीछा किया तो चालक सूरजगढ़ कस्बे मे कई वाहनों के टक्कर मारते हुए खतरनाक व जानलेवा तरीके से लगातार भागता रहा। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से चालक को पुलिस ने ट्रक रोकने की कई बार हिदायत दी। लेकिन चालक लगातार भागता रहा। कन्टेनर को रूकवाने के लिए दो बार सावधानी रखते हुए बुहाना व सूरतगढ़ की तरफ से कोई वाहन व राहगीर आते हुए नहीं दिखाई देने पर खाली जगह होने पर जाखोद बाईपास तिराहे से पहले सर्विस पिस्टल से हवाई फायर कर भी चेतावनी दी गई।

इसके बावजूद भी भी चालक कन्टेनर को लगातार दौड़ाते हुए जाखोद रोड से कासनी की तरफ चला। सभी टीमों ने ट्रक के आगे पीछे गाड़ी लगा रोकना चाहा तो ट्रक लेकर खेत में घुस गया। ट्रक के टायर जमीन में धंसने की वजह से आरोपी भागने लगा।

जिसे मौके पर ही टीम ने दबोच लिया। ट्रक कंटेनर की तलाशी ली गई तो पीछे की बॉडी में केबिन की तरफ करीब 2 फुट चौड़ा अलग से केबिन बनाया हुआ था। जो बाहर से दिखाई नहीं देता। ऊपर अलग से स्क्रू कसे हुए मिले। जिसे खोल कर देखा तो कुल 6 प्लास्टिक के कट्टे रखे हुए मिले। जिनमें कुल 40 पैकेट रखे हुए थे, इन पैकेटों में कुल 204 किलो 85 ग्राम गांजा मिला। ट्रक एवं अवैध मादक पदार्थ जब्त कर पुलिस ने आरोपी चालक सुभाष चंद्र को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपित चालक सुभाष चन्द्र हरियाणा के चरखी दादरी में एनडीपीएस के मामले में पूर्व में गिरफ्तार हुआ था। जिसमें इसे 10 साल की कैद हुई थी। साल 2017 में बेल मिलने पर आरोपित फरार हो गया। आरोपित हरियाणा का उद्घोषित अपराधी है। जिसके ऊपर इनाम भी रखा गया है। पुलिस की टीम आरोपित से गहनता से पूछताछ कर रही है और इसके आपराधिक रिकार्ड के बारे में जानकारी ली जा रही है।

इस कार्रवाई में एजीटीएफ पुलिस मुख्यालय के हेड कांस्टेबल मोहन लाल व कमल डागर एवं एजीटीएफ झुंझुनूं एजीटीएफ के हेड कांस्टेबल शशिकांत एवं कांस्टेबल अमित की विशेष भूमिका रही। टीम में एजीटीएफ पीएचक्यू से उपनिरीक्षक सुभाष तंवर, एएसआई शंकर दयाल शर्मा, हेड कांस्टेबल अभिमन्यु, नरेंद्र, सुरेश, कांस्टेबल रतिराम व चालक सुरेश तथा झुंझुनू जिले से सीओ चिड़ावा विकास धिन्धवाल एवं एसएचओ सूरजगढ़ हेमराज शामिल थे।

3.72 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर पकड़ा

जयपुर। कानोता थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम जयपुर पूर्व ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी करने वाले एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 3.72 ग्राम स्मैक जब्त की है। फिलहाल आरोपित से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व तेजस्वनी गौतम ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी करने वाले तस्कर ओमी सिंह सिंघीवाल को गिरफ्तार किया।

16 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति पर रोक

जयपुर। भाजपा संगठन पर्व की प्रदेश अपील समिति की ओर से सोमवार को प्रदेश के 16 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगाने तथा 5 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति को निरस्त करने की घोषणा की है। संगठन पर्व 2024 की प्रदेश अपील समिति के प्रदेश संयोजक घनश्याम तिवाड़ी, सह संयोजक सरदार अजयपाल सिंह और योगेंद्र सिंह तंवर ने सोमवार को बैठक कर प्रदेश के 16 मंडल अध्यक्षों के खिलाफ निर्वाचन मापदंडों के उल्लंघन का आरोप पाए जाने पर उनकी नियुक्ति पर रोक लगाने का निर्णय किया है।

समिति के प्रदेश संयोजक घनश्याम तिवाड़ी ने बताया कि जयपुर शहर से जलमहल और पौड्रिक मंडल, जयपुर देहात से चौमूं नगर, भरतपुर से सेवर, रूदावल, सिरोही से डूंगरखेडा, अलवर दक्षिण से मालाखेड़ा, चुरू के रतनगढ़, अलवर के खोह, बीकानेर शहर के रानीबाजार, जुनागढ, पुराना शहर, जस्सुसर, नया शहर, बूंदी के इन्द्रगढ़ ग्रामीण और हनुमानगढ़ के संगरिया नगर मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति पर अंतरिम रूप से रोक लगाई गई।

उन्होंने बताया कि समिति ने प्रदेश के 5 मंडल अध्यक्षों के निर्वाचन को निरस्त करने की घोषणा की है। इनमें अलवर दक्षिण के थानागाजी, भरतपुर के उज्जैन, जालौर के भीनमाल नगर, उदयपुर देहात के डबोक और सिरोही के पोसलिया मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति को निरस्त किया गया।

रबी सीजन 2025-26 में गेहूं खरीद हेतु सभी तैयारियां हो समयबद्ध रूप से पूरी : सुमित गोदारा

■ 'खरीद प्रक्रिया में सुगमता हेतु संबंधित एंजेंसिया उचित समन्वय के साथ काम करें'

जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में रबी सीजन 2025-26 में राज्य में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश में गेहूं खरीद करने वाली सभी पांच एंजेंसियों (एफसीआई, राजफेड, तिलमसंघ, एफसीसीएफ एवं नेफेड) के प्रतिनिधियों समेत सभी संबंधित विभागों के आला अधिकारी उपस्थित रहे।

गोदारा ने कहा कि राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रदेश है। राज्य सरकार किसानों के हितों को संरक्षित करने हेतु कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि गेहूं उत्पादन में राजस्थान अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है। आगामी रबी सीजन में गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीद हेतु सभी तैयारियां समयबद्ध रूप से पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि खरीद प्रक्रिया में शामिल सभी पांच एजेंसियां एफसीआई, राजफेड, तिलमसंघ, एफसीसीएफ एवं नेफेड आपस में उपयुक्त समन्वय के साथ कार्य करें ताकि गेहूं खरीद से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया में किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अधिक उत्पादन की संभावना वाले क्षेत्रों में उचित चयन उपरांत आवश्यकतानुसार नए खरीद केंद्र खोले जाएं। इस हेतु अधिकारी जिलों के दौरे कर खरीद केंद्र की जरूरत वाले स्थानों को चिन्हित करें। गोदारा ने कहा कि मंडियों में खरीद के लिए उचित स्थान की व्यवस्था की जाए। आवश्यकतानुसार बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। गिरदावरी की प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए। साथ ही तो मंडियों में आवश्यक सफाई व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि उचित प्रचार प्रसार के माध्यम से आगामी रबी सीजन में राज्य में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां किसानों को दी जाएं। हेल्पलाइन के माध्यम से भी किसानों द्वारा मांगी जाने वाली सूचनाओं को प्रभावी रूप से साझा किया जाए।

बैठक में राजस्थान राज्य भंडारण निगम के प्रबंध निदेशक संदीप वर्मा ने कहा कि रबी सीजन 2025-26 के मद्देनजर राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी भंडारगृहों में उचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने कहा कि आगामी रबी सीजन को देखते हुए सभी संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का उत्कृष्ट निर्वहन करें।

बैठक में एफसीआई के प्रबंध निदेशक सौरव चौरसिया, तिलमसंघ के अध्यक्ष राजेश गुप्ता, राजफेड प्रबंध निदेशक नारायण सिंह, एफसीसीएफ से मधु शर्मा, नेफेड से महेंद्र सिंह रावत,अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पूनम प्रसाद सागर सहित विभिन्न उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।